न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 157 / 2007 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र सुण्डा जाति जाट निवासी ढ़ाणी उदक्या नयाबास तहसील नीमकाथाना
2. हरफुल पुत्र सुण्डा जाति जाट निवासी ढाणी उदक्या नयाबास तहसील नीमकाथाना
3. मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
4. अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
5. राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
6. छितरमल पुत्र गप्पू उर्फ घड़सी जाति जाट निवासी ढाणी उदक्या नयाबास तहसील नीमकाथाना
7. चोथमल पुत्र गप्पू उर्फ घड़सी जाति जाट निवासी ढाणी उदक्या नयाबास तहसील नीमकाथाना
8. रामनारायण पुत्र अर्जुनदेव जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
9. कैलाश पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
10. मूलचन्द पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
11. जयपाल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
12. मनोज पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
13. अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
14. राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय **दिनांकः–31.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नयाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 365, 367, 368, 369, 373, 374 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 9.86 है0 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रतिपक्षी मन्दिर रतन बिहारी था एवं काबिज था। उसके अतिरिक्त इस भूमि में किसी दूसरे का हिस्सा व कब्जा नहीं था। उक्त भूमि वर्णित धारा 1 प्रार्थना पत्र को प्रतिपक्षी मन्दिर रतन बिहारी ने बिचोती पत्र / दान पत्र / बंधक पत्र / विनिमय / शिकमी कास्त के द्वारा प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 14 को हस्तान्तरित कर दिया। कानून से मन्दिर की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। इसलिये हस्तानान्तरण अवैध है। निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त हस्तानान्तरण ABINITION NULL AND VOID है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 14 को विवादग्रस्त भूमि धारा 1 में कानून से कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। उसका कब्जा उक्त भूमि पर अनाधिकृत है और यह कानून से उक्त भूमि पर अतिक्रमी है,

हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए) के विरूद्ध हस्तान्तरण किया है इसलिये इसका इस भूमि से कोई ताल्लुक नहीं रहा है और यह भूमि कानूनन राजस्थान सरकार की हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मन्दिर रतन बिहारी के नाम से दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात भू–धारक के कॉलम में माफी रतन बिहारी जी वाके छावनी पुजारी माधोदास चेला नारायणदास कौम स्वामी सा. छावनी खुदकाश्त एवं काश्तकार के कॉलम में गधु पुत्र भूरा सुण्डा पुत्र गोविन्दा नाथू पुत्र बालू कौम जाट सा.देह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी रामनारायण पुत्र सुण्डा हि. 1/8 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा नीमकाथाना मूर्तहीन रहन हरफूल पुत्र सुण्डा हि. 1/8 छीतरमल चौथमल पि. गप्पू उर्फ घड़सी हि. 1/3 जाति जाट सा.ढ़ाणी उदक्यावाली रामनारायण पुत्र अर्जुनदेव हि. 1/16 कैलाश मूलचन्द जयपाल पि. रामनारायण हि.ब. 3/16 मनोज कुमार अशोक कुमार राजेश कुमार पि. राधेश्याम हि. 1/6 जाति मीणा सा.देह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी रतन बिहारी जी वाके छावनी पुजारी माधोदास चेला नारायणदास कौम स्वामी सा. छावनी खुद काश्त के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के मुताबिक बिना किसी आदेश के उपरोक्त आराजियात मन्दिर के स्थान पर रामनारायण पुत्र सुण्डा हि. 1/8 हरफूल पुत्र सुण्डा हि. 1/8 छीतरमल चौथमल पि. गप्पू उर्फ घड़सी हि. 1/3 जाति जाट सा.ढ़ाणी उदक्यावाली रामनारायण पुत्र अर्जुनदेव हि. 1/16 कैलाश मूलचन्द जयपाल पि. रामनारायण हि.ब. 3/16 मनोज कुमार अशोक कुमार राजेश कुमार पि. राधेश्याम हि. 1/6 जाति मीणा सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी रतन बिहारी जी खुद काश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में उक्त मन्दिर की खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि के होते हुए भी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 365, 367, 368, 369, 373, 374 की खातेदारी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी रतन बिहारी जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official